

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-63 / 2020

गुरमोहनसिंह पुत्र बघेल सिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ। वादी


बनाम्

1. बघेलसिंह पुत्र मलसिंह
  2. अग्रेजसिंह पुत्र बघेलसिंह
  3. अमृतपाल कौर पत्नी बघेलसिंह
- } जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. रमनदीप कौर पुत्री बघेलसिंह पत्नी कर्णसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 3 बी आर डबल्यू के खाता सं० 115/97 में कुल 0.886 है० आराजी तथा चक 1 बी आर डबल्यू के खाता सं० 91/82 में कुल 3.036 है० आराजी के वादी व प्रतिवादीसं० 1 ता 3 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 3 बी आर डबल्यू के खाता सं० 115/97 व चक 1 बी आर डबल्यू के खाता सं० 91/82 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल:.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के  
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।  
बसब्ब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24-08-2020 को जारी किया गया।

  
( मांगीलाल )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी